

:: आदेश ::

शासनादेश सं० 351/2011/ XXVII(9)/80/स्टाम्प/2009 दिनांक 24 जून 2011 एवं उ०प्र० स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के अनुसार जनपद रुद्रप्रयाग में सम्पत्तियों का द्विवार्षिक मूल्यांकन दरें (सर्किल रेट) तहसीलवार निम्न लिखित प्रकार से निर्धारित किये जाते हैं। यह मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) दिनांक 1-4-2012 से लागू होगी।

क्र० सं०	मोटर मार्ग एवं ग्रामों का नाम	भूमि का प्रकार	निर्धारित दर	
			दर ₹० प्रति वर्ग मीटर (400 वर्ग मीटर से कम भूमि के अन्तरण होने पर)	दर ₹० प्रति हे० (400 वर्ग मीटर से अधिक भूमि के अन्तरण होने पर)
1	2	3	6	7
	तहसील-रुद्रप्रयाग			
1	अधिसूचित नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम-पुनाड़, रैंतोली, तिलणी, बेला, सान्दर, (बेलणी व नैल नामी तोक) सुमेरपुर, उमरोला, सौड़ एवं खुरड़ ग्रामों के मोटर मार्ग से 50 मी० के अन्दर की भूमि के लिए।	समस्त प्रकार की भूमि	900.00 प्रति वर्ग मी०	85.00 लाख प्रति हे०
अ	उक्त ग्रामों की 50 मीटर के बाहर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	750.00 प्रति वर्ग मी०	71.00 लाख प्रति हे०
ब	उक्त ग्रामों के नगर पालिका परिषद की सीमा से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित- असिंचित-	575.00 प्रति वर्ग मी० 400.00 प्रति वर्ग मी०	55.00 लाख प्रति हे० 37.50 लाख प्रति हे०
2	घोलतीर-नगरासू मोटर मार्ग पर पड़ने वाले ग्रामों की 50 मीटर से अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	700.00 प्रति वर्ग मी०	67.00 लाख प्रति हे०
अ	उक्त मोटर मार्ग पर पड़ने वाले ग्रामों के 50 मी० से 200 मी० तक की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	450.00 प्रति वर्ग मी०	42.00 लाख प्रति हे०
ब	उक्त मोटर मार्ग पर पड़ने वाले ग्रामों के 200 मीटर से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित-- असिंचित-	300.00 प्रति वर्ग मी० 250.00 प्रति वर्ग मी०	28.00 लाख प्रति हे० 23.00 लाख प्रति हे०
3	खोंकरा से नरकोटा, रूड़ा मोटर मार्ग पर पड़ने वाले ग्रामों की 50 मीटर के अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	600.00 प्रति वर्ग मी०	56.50 लाख प्रति हे०
अ	उक्त मोटर मार्ग के 50 मीटर से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित-- असिंचित	300.00 प्रति वर्ग मी० 250.00 प्रति वर्ग मी०	28.00 लाख प्रति हे० 23.00 लाख प्रति हे०

SR (B)
A. Sawley
2/4/12

18
4/4/12

4	सिरोबगड़-खांकरा मोटर मार्ग से 50 मीटर से अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	600.00 प्रति वर्ग मी०	56.50 लाख प्रति हे०
अ	उक्त मोटर मार्ग पर पड़ने वाले ग्रामों की 50 मीटर से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित- असिंचित-	300.00 प्रति वर्ग मी० 250.00 प्रति वर्ग मी०	28.00 लाख प्रति हे० 23.00 लाख प्रति हे०
5	खोंकरा-काण्डई-खेड़ाखाल-मोल्टा मोटर मार्ग पर पड़ने वाले ग्रामों की सड़क से 50 मीटर के अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	160.00 प्रति वर्ग मी०	14.50 लाख प्रति हे०
अ	उक्त मोटर मार्ग पर पड़ने वाले ग्रामों की 50 मी० से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित- असिंचित-	110.00 प्रति वर्ग मी० 85.00 प्रति वर्ग मी०	9.50 लाख प्रति हे० 7.50 लाख प्रति हे०
6	काण्डई-कमोल्डी मोटर मार्ग के ग्राम शिवपुरी, चौथला, बामसू, बाड़ा, पीपली, बरसूड़ी, बणगांव एवं अन्य ग्राम जो मोटर मार्ग पर हैं, की सड़क से 50 मी० के अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	160.00 प्रति वर्ग मी०	14.50 लाख प्रति हे०
अ	उक्त ग्रामों की 50 मीटर से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित- असिंचित-	110.00 प्रति वर्ग मी० 85.00 प्रति वर्ग मी०	9.50 लाख प्रति हे० 7.50 लाख प्रति हे०
7	ग्राम नाकोट (अगस्त्यमुनि), विजयनगर के मोटर मार्ग से 50 मी० के अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	900.00 प्रति वर्ग मी०	85.00 लाख प्रति हे०
अ	उक्त ग्रामों की 50 मी० से बाहर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	725.00 प्रति वर्ग मी०	68.00 लाख प्रति हे०
8	ग्राम बनियाड़ी, अमोठा, सिल्ली, रामपुर, मैठाणा, तिलवाड़ा, गीड़भुतेर तथा भटवाड़ीसैण एवं अन्य गांव जो मोटर मार्ग पर हैं, की 50 मी० के अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	625.00 प्रति वर्ग मी०	60.00 लाख प्रति हे०
अ	उक्त ग्रामों के 50 मी० से 250 मी० तक की भूमि के लिए	सिंचित- असिंचित-	450.00 प्रति वर्ग मी० 375.00 प्रति वर्ग मी०	42.00 लाख प्रति हे० 35.00 लाख प्रति हे०
ब	उक्त ग्रामों की 250 मी० से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित- असिंचित-	300.00 प्रति वर्ग मी० 250.00 प्रति वर्ग मी०	28.00 लाख प्रति हे० 23.00 लाख प्रति हे०
9	शाखा मोटर मार्ग रुद्रप्रयाग- घिमतोली, रुद्रप्रयाग- चोपड़ा एवं नगरासू-जसोली मोटर मार्ग पर पड़ने वाले ग्रामों की 50	समस्त प्रकार की भूमि	225.00 प्रति वर्ग मी०	21.00 लाख प्रति हे०

	मी० से अन्दर की भूमि के लिए			
अ	उक्त ग्रामों के 50 मी० से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित— असिंचित—	115.00 प्रति वर्ग मी० 95.00 प्रति वर्ग मी०	10.00 लाख प्रति हे० 8.25 लाख प्रति हे०
10	तिलवाड़ा-सौराखाल मोटर मार्ग के ग्राम सौदा, दौण्डा की मी० के अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	175.00 प्रति वर्ग मी०	15.25 लाख प्रति हे०
अ	उक्त ग्रामों के 50 मी० से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित— असिंचित—	115.00 प्रति वर्ग मी० 95.00 प्रति वर्ग मी०	10.00 लाख प्रति हे० 8.25 लाख प्रति हे०
11	रतनपुर-स्वीली मोटर मार्ग के ग्राम दरमोला की 50 मी० के अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	170.00 प्रति वर्ग मी०	15.00 लाख प्रति हे०
अ	उक्त ग्राम के 50 मी० से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित— असिंचित—	115.00 प्रति वर्ग मी० 95.00 प्रति वर्ग मी०	10.00 लाख प्रति हे० 8.25 लाख प्रति हे०
12	अधिसूचित नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम माई की गढ़ी व उनके मिलानी राजस्व ग्राम जवाड़ी की मोटर मार्ग से 50 मी० के अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	750.00 प्रति वर्ग मी०	71.00 लाख प्रति हे०
अ	उक्त ग्रामों की 50 मी० से 250 मी० तक की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	525.00 प्रति वर्ग मी०	49.00 लाख प्रति हे०
ब	उक्त ग्रामों के 250 मी० से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित— असिंचित—	125.00 प्रति वर्ग मी० 105.00 प्रति वर्ग मी०	10.50 लाख प्रति हे० 8.50 लाख प्रति हे०
13	तहसील रुद्रप्रयाग के अन्य समस्त ग्रामों की भूमि के लिए	सिंचित— असिंचित—	105.00 प्रति वर्ग मी० 80.00 प्रति वर्ग मी०	8.50 लाख प्रति हे० 7.00 लाख प्रति हे०
14	तहसील अन्तर्गत स्थित बंजर भूमि, राज्य भूमि, बन भूमि एवं बन पंचायत भूमि के लिए	—	—	स्थान विशेष सिंचित/असिंचित भूमि की दर के अनुसार
15	तहसील अन्तर्गत व्यवसायिक प्रयोजन के लिए सम्बन्धित क्षेत्र की भूमि के लिए	—	सम्बन्धित क्षेत्र/स्थान की वर्तमान निर्धारित दर के 45 प्रतिशत वृद्धि दर के अनुसार	—
16	तहसील अन्तर्गत उ०प्र० वित्त निगम,			

	उ०प्र० आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा।			
	तहसील— ऊखीमठ			
1	अधिसूचित क्षेत्र नगर पंचायत केदारनाथ के अन्तर्गत की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	850.00 प्रति वर्ग मी०	70.26 लाख प्रति हे०
2	मोटर मार्ग पर पड़ने वाले ग्राम माण्डी उर्फ गुप्तकाशी के 250 मी० के अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	575.00 प्रति वर्ग मी०	42.84 लाख प्रति हे०
अ	ग्राम माण्डी उर्फ गुप्तकाशी के मोटर मार्ग के दोना तरफ 50 मीटर के अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	960.00 प्रति वर्ग मी०	76.50 लाख प्रति हे०
ब	उक्त ग्राम के मोटर मार्ग से 50 से 250 मी० तक के दूरी पर पड़ने वाले भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	600.00 प्रति वर्ग मी०	47.43 लाख प्रति हे०
3	1. ग्राम गवनी गांव, भटवाड़ी सुनार, गवनी गांव, सेमीतल्ली, सेमीतल्ली सांकरी, नाला, सीतापुर, रामपुर, फाटा, कोणगढ़, डंगवाड़ी उर्फ ऊखीमठ, सोनप्रयाग, गौरीकुण्ड की मोटर मार्ग से 50 मी० अन्दर की भूमि के लिए 2. भैंसारी, भेतसेम, व्यूंग, खाट, न्यालसू, मैखण्डा की मोटर मार्ग से 50 मी० अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	660.00 प्रति वर्ग मी०	51.00 लाख प्रति हे०
अ	उक्त ग्रामों के 50 मी० से 250 मी० तक की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	540.00 प्रति वर्ग मी०	40.80 लाख प्रति हे०
ब	उपरोक्त ग्रामों के 250 मी० से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित असिंचित	200.00 प्रति वर्ग मी० 135.00 प्रति वर्ग मी०	13.46 लाख प्रति हे० 08.97 लाख प्रति हे०
4	1. त्रियुगीनारायण, बसुकेदार, संसारी, भटवाड़ी (ऊखीमठ), चुन्नी, मंगोली मोटर मार्ग से 50 मी० अन्दर के लिए 2. भीरी तथा विजयनगर, बसुकेदार मोटर मार्ग के ग्राम फलई की मोटर मार्ग से 50 मी० अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	440.00 प्रति वर्ग मी०	30.45 लाख प्रति हे०
अ	ग्राम रविग्राम, गिवाला, दैडा मध्ये मस्तूरा, मनसूना अन्य गांव जिनकी भूमि मोटर मार्ग पर है की मोटर मार्ग से 50 मी०	समस्त प्रकार की भूमि	525.00 प्रति वर्ग मी०	39.27 लाख प्रति हे०
			390.00 प्रति वर्ग मी०	30.45 लाख प्रति हे०

	की अन्दर की भूमि के लिए				
ब	उक्त ग्रामों की 50 मी० से 250 मी० तक की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	230.00 प्रति वर्ग मी०	18.65 प्रति हे०	लाख
स	उक्त ग्रामों के 250 मी० से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित— असिंचित—	185.00 प्रति वर्ग मी० 120.00 प्रति वर्ग मी०	12.78 प्रति हे० 08.52 प्रति हे०	लाख लाख
5	शाखा मोटर मार्ग जो मुख्य मार्ग के वितरित ग्राम अंद्रवाडी, जमलोक, नागजगई, सारी, डालसिंगी मध्ये बसुकेदार, कालीमठ, बनियाकुण्ड, दुगलविट्टा, ताला, मक्कूमठ, किमाणा, पठाली के समस्त प्रकार की भूमि जो मोटर मार्ग से 50 मी० के अन्दर है, के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	175.00 प्रति वर्ग मी०	13.28 प्रति हे०	लाख
अ	उपरोक्त ग्रामों के 50 मी० से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित— असिंचित	110.00 प्रति वर्ग मी० 90.00 प्रति वर्ग मी०	08.80 प्रति हे० 06.60 प्रति हे०	लाख लाख
6	तहसील के अन्तर्गत जूगासू— उनियाणा मोटर मार्ग के ग्राम उनियाणा, गौण्डार, राऊँलैक, रांसी की मोटर मार्ग से 50 मी० के अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	105.00 प्रति वर्ग मी०	08.36 प्रति हे०	लाख
अ	उपरोक्त ग्रामों की 250 मी० से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित— असिंचित	84.00 प्रति वर्ग मी० 65.00 प्रति वर्ग मी०	06.49 प्रति हे० 05.25 प्रति हे०	लाख लाख
ब	भीरी—मक्कू मोटर मार्ग के अन्तर्गत ग्राम परकण्डी, भीगी मक्कू मोटर मार्ग से 50 मी० के अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	105.00 प्रति वर्ग मी०	08.36 प्रति हे०	लाख
स	उक्त ग्रामों की मोटर मार्ग से 50 मी० से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित— असिंचित	83.00 प्रति वर्ग मी० 75.00 प्रति वर्ग मी०	06.49 प्रति हे० 05.26 प्रति हे०	लाख लाख
7	बांसवाड़ा—चन्द्रनगर—मोहनखाल मोटर मार्ग पर पड़ने वाले ग्राम जलई, सुरसाल, कण्डारा, दौला, क्यूंजा, कणसिली, भणज एवं चन्द्रनगर, बाड़व मल्ला की मोटर मार्ग से 50 मी० की अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	105.00 प्रति वर्ग मी०	08.36 प्रति हे०	लाख
अ	उपरोक्त ग्रामों के 50 मी० से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित— असिंचित	84.00 प्रति वर्ग मी० 75.00 प्रति वर्ग मी०	06.49 प्रति हे० 05.26 प्रति हे०	लाख लाख
8	गुप्तकाशी—जाल, चौमासी मोटर मार्ग के	समस्त	105.00 प्रति वर्ग मी०	08.36 प्रति हे०	लाख

	ग्राम आसमां, कालीमठ, कविल्ठा, कोटमा, जालतत्ला, चौमासी मोटर मार्ग से 50 मी० के अन्दर की भूमि के लिए	प्रकार की भूमि	मी०	प्रति हे०
अ	उपरोक्त ग्रामों से 250 मी० से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित— असिंचित	84.00 प्रति वर्ग मी० 75.00 प्रति वर्ग मी०	06.41 लाख प्रति हे० 05.26 लाख प्रति हे०
ब	तहसील के अन्य राजस्व ग्रामों के लिए	सिंचित— असिंचित	63.00 प्रति वर्ग मी० 50.00 प्रति वर्ग मी०	05.51 लाख प्रति हे० 03.99 लाख प्रति हे०
9	1. ग्राम बष्ठी, जलई, सुरसाल, फलीफसालत, फलई, तड़ियाल, हाट, व्यूंग, न्यालसू में व्यावसायिक प्रयोजन के लिए 2. सेमी तल्ली, व्यूंग, न्यालसू में व्यावसायिक प्रयोग के लिए	समस्त प्रकार की भूमि समस्त प्रकार की भूमि	360.00 प्रति वर्ग मी० 540.00 प्रति वर्ग मी०	27.49 लाख प्रति हे० 40.80 लाख प्रति हे०
10	तहसील के अन्तर्गत स्थित बंजर भूमि, राज्य भूमि, बनभूमि एवं बन पंचायत की भूमि के लिए	—	स्थान विशेष के सिंचित / असिंचित भूमि की दर के अनुसार	—
11	ग्राम बष्ठी, जलई, सुरसाल, सेमीतल्ली व फलीफसालत, फलई, तड़ियाल, हाट, व्यूंग, न्यालसू को छोड़कर तहसील ऊखीमठ के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रयोजनके लिए सम्बन्धित क्षेत्र की भूमि के लिए	—	सम्बन्धित क्षेत्र / स्थान की वर्तमान निर्धारित दर के 75 प्रतिशत वृद्धि दर के अनुसार	—
तहसील - जखोली				
1	ग्राम सुमाड़ी मोटर मार्ग के दोनों तरफ 50 मी० से अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	650.00 प्रति वर्ग मी०	60.00 लाख प्रति हे०
अ	उक्त ग्राम के मोटर मार्ग से 50 मी० बाहर की भूमि के लिए	सिंचित— असिंचित	350.00 प्रति वर्ग मी० 250.00 प्रति वर्ग मी०	30.00 लाख प्रति हे० 21.00 लाख प्रति हे०
2	ग्राम मयाली के मोटर मार्ग से 50 मी० के अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	300.00 प्रति वर्ग मी०	27.50 लाख प्रति हे०
अ	उक्त ग्राम के मोटर मार्ग के 50 मी० से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित— असिंचित—	130.00 प्रति वर्ग मी० 100.00 प्रति वर्ग मी०	09.00 लाख प्रति हे० 08.00 लाख प्रति हे०
3	तिलवाड़ा-मयाली मोटर मार्ग के ग्राम सेमा, लेख लावड़ी, तुनेटा, तड़ियाल गांव,	समस्त प्रकार की	200.00 प्रति वर्ग मी०	16.50 लाख प्रति हे०

	डोमा जाखाल, बिराणगांव, श्रीकोट, बैनोली, लौगा, लम्बाड, जखोली, देवल, बजीरा, ममणी, गोर्ती, उछना, पाला कुराली, बुढना व लुठियाग के भूमि मोटर मार्ग से 50 मी० के अन्दर की भूमि के लिए	भूमि			
अ	उक्त ग्रामों के मोटर मार्ग से 50 मी० से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित— असिंचित—	130.00 प्रति वर्ग मी० 100.00 प्रति वर्ग मी०	09.00 प्रति हे० 08.00 प्रति हे०	लाख लाख
4	मयाली-जखोली व मयाली-रणधार मोटर मार्ग, धारकुड़ी मोटर मार्ग के ग्राम ललूड़ी, कपणियां, पौणजुली, बच्चवाड़, चौरा, पौठी, खलियाण, लिस्वाल्टा, जखवाड़ी तल्ली, जखवाड़ी मल्ली, मन्, कोट तथा धारकुड़ी मोटर मार्ग से 50 मी० से अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	185.00 प्रति वर्ग मी०	15.50 प्रति हे०	लाख
अ	उक्त मोटर मार्ग की 50 मी० से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित— असिंचित—	130.00 प्रति वर्ग मी० 100.00 प्रति वर्ग मी०	09.00 प्रति हे० 08.00 प्रति हे०	लाख लाख
5	तिलवाड़ा-सौराखाल मोटर मार्ग के ग्राम हरियाली, काण्डा, पिनगढ़ी, रतनपुर, घेंघड़, क्वीला की मोटर मार्ग से 50 मी० के अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	185.00 प्रति वर्ग मी०	15.50 प्रति हे०	लाख
अ	उक्त ग्रामों की मोटर मार्ग से 50 मी० से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित— असिंचित—	130.00 प्रति वर्ग मी० 100.00 प्रति वर्ग मी०	09.00 प्रति हे० 08.00 प्रति हे०	लाख लाख
6	मयाली-भीरी मोटर मार्ग के ग्राम कोठियाड़ा, ललूड़ी, बरसिर, चन्दी, कुनियाली, पौणजुली, पाजणा, पूर्वियाणा, धारकोट, नाग, अठोला, तैला व जखनोली की मोटर मार्ग से 50 मी० के अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	185.00 प्रति वर्ग मी०	15.50 प्रति हे०	लाख
अ	उक्त ग्रामों की मोटर मार्ग से 50 मी० के बाहर की भूमि के लिए	सिंचित— असिंचित—	130.00 प्रति वर्ग मी० 100.00 प्रति वर्ग मी०	09.00 प्रति हे० 08.00 प्रति हे०	लाख लाख
7	जखोली-बजीरा-ममणी मोटर मार्ग के ग्राम जखोली, बजीरा की मोटर मार्ग से 50 मी० अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	185.00 प्रति वर्ग मी०	15.50 प्रति हे०	लाख
अ	उक्त ग्रामों के मोटर मार्ग से 50 मी० बाहर की भूमि के लिए	सिंचित— असिंचित—	130.00 प्रति वर्ग मी० 100.00 प्रति वर्ग मी०	09.00 प्रति हे० 08.00 प्रति हे०	लाख लाख

8	विजयनगर-जखोली, विजयनगर-गुप्तकाशी मोटर मार्ग के ग्राम किमाणा, अरखुण्ड, किरोडामल्ला, किरोडा तल्ला, धरियोज, जखोली, सिद्धसौड, कूडीअदूली, दानकोट, रायड़ी, टाट की मोटर मार्ग से 50 मी० की अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	185.00 प्रति वर्ग मी०	15.50 प्रति हे०	लाख
अ	उक्त ग्रामों के मोटर मार्ग से 50 मी० से बाहर की भूमि के लिए	सिंचित- असिंचित-	130.00 प्रति वर्ग मी० 100.00 प्रति वर्ग मी०	09.00 प्रति हे० 08.00 प्रति हे०	लाख लाख
9	सुमाड़ी-कण्डाली मोटर मार्ग के ग्राम शीशों, कण्डाली, कुमड़ी, जैली के मोटर मार्ग से 50 मी० अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	185.00 प्रति वर्ग मी०	15.50 प्रति हे०	लाख
अ	उक्त ग्रामों की 50 मी० के बाहर की भूमि के लिए	सिंचित- असिंचित-	130.00 प्रति वर्ग मी० 100.00 प्रति वर्ग मी०	09.00 प्रति हे० 08.00 प्रति हे०	लाख लाख
10	विजयनगर-तिमली-मुसादुंग मोटर मार्ग के ग्राम चाका, फलाटी, पाट्यों, डोबल्या, कोटी, सेम, डंगलवालगांव, घणतगांव, मुन्नादेवल, मुसादुंग की मोटर मार्ग से 50 मी० के अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	185.00 प्रति वर्ग मी०	15.50 प्रति हे०	लाख
अ	उक्त ग्रामों के मोटर मार्ग से 50 मी० बाहर की भूमि के लिए	सिंचित- असिंचित-	130.00 प्रति वर्ग मी० 100.00 प्रति वर्ग मी०	09.00 प्रति हे० 08.00 प्रति हे०	लाख लाख
11	हरियाली-जाखाल-मठियाणाखाल मोटर मार्ग के ग्राम हरियाली, डांगी, जखोली तल्ली, जखोली मल्ली, जाखाल, उदियाणगांव की मोटर मार्ग से 50 मी० अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	185.00 प्रति वर्ग मी०	15.50 प्रति हे०	लाख
अ	उक्त ग्रामों की मोटर मार्ग से 50 मी० बाहर की भूमि के लिए	सिंचित- असिंचित-	130.00 प्रति वर्ग मी० 100.00 प्रति वर्ग मी०	09.00 प्रति हे० 08.00 प्रति हे०	लाख लाख
12	अमकोटी-त्युंखर मोटर मार्ग के ग्राम गोर्ती, धान्यों, बुढ़ना, त्युंखर की 50 मी० के अन्दर की भूमि के लिए	समस्त प्रकार की भूमि	185.00 प्रति वर्ग मी०	15.50 प्रति हे०	लाख
अ	उक्त ग्रामों की मोटर मार्ग से 50 मी० के बाहर की भूमि के लिए	सिंचित- असिंचित-	130.00 प्रति वर्ग मी० 100.00 प्रति वर्ग मी०	09.00 प्रति हे० 08.00 प्रति हे०	लाख लाख
13	तहसील जखोली के अन्य राजस्व ग्रामों की सभी प्रकार की भूमि के लिए	सिंचित- असिंचित-	110.00 प्रति वर्ग मी० 100.00 प्रति वर्ग मी०	08.80 प्रति हे० 07.00 प्रति हे०	लाख लाख

14	तहसील जखोली के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 02 किलो मीटर दूर पड़ने वाले दुर्गम राजस्व ग्राम स्थूर, डांगी, भुनाल गांव, बक्सीर, उछोला, खोड़ बांगर, मथ्यागांव, लिस्वाल्टा, जखवाड़ी मल्ली, जगतोली, सिरवाड़ी, पूलन, सेमा, थापला, लडियासू, श्रीकोट, हरियाली, तडियाल गांव, भिमल्ली, मरगांव, मवाणगांव, बरसारी, कुरछोला, उरोला, रहड़, चोपड़ा, डोमा, लौंगा, सकलाना, गैठाणा, बदाणी	सिंचित— असिंचित—	100.00 प्रति वर्ग मी0 80.00 प्रति वर्ग मी0	07.00 लाख प्रति हे0 06.60 लाख प्रति हे0
15	तहसील अन्तर्गत स्थित बंजर भूमि राज्य भूमि बन भूमि एवं बन पंचायत की भूमि के लिए	—	—	स्थान विशेष की सिंचित / असिंचित भूमि की दर के अनुसार
16	तहसील जखोली के अन्तर्गत व्यवसायिक प्रयोजन के लिए सम्बन्धित क्षेत्र की भूमि के लिए	—	—	सम्बन्धित क्षेत्र/स्थान की वर्तमान निर्धारित दर का 75 प्रतिशत वृद्धि के अनुसार

4- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में भवनों की दरें ।

क0सं0	आवास विवरण	प्रति वर्ग फिट दर रूपये में	
		वास्तविक दर	मुल्यांकन दरें
1	2	3	4
1-	आवासीय भवन (विशिष्ट श्रेणी) भूतल हेतु प्रथम तल द्वितीय तल त्रितीय तल	1125.00 879.00 973.00 1067.00	833.00 650.00 720.00 790.00
2-	आवासीय भवन (मध्यम श्रेणी) भूतल हेतु प्रथम तल द्वितीय तल त्रितीय तल	971.00 773.00 853.00 933.00	719.00 572.00 631.00 690.00
3-	अनावासीय भवन (मध्यम श्रेणी) भूतल हेतु प्रथम तल द्वितीय तल त्रितीय तल	1106.00 879.00 972.00 1063.00	818.00 650.00 719.00 787.00

5- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत न्यूनतम मासिक किराया रेंट -


- 1- आवासीय भवनों का मूल्यांकन व न्यूनतम मासिक किराया रेंट अर्द्धनगरीय एवं नगरीय क्षेत्रों हेतु- दर रु0 06.00 प्रति वर्ग फिट ।
- 2- ग्रामीण क्षेत्रों के आवासीय भवनों के लिये- दर रु0 05.00 प्रति वर्ग फिट ।

उ0प्र0 वित्त निगम, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा।

(चन्द्रेश कुमार),
आई0ए0एस0,
जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग ।

कार्यालय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ।

- संख्या- 1057 / V-02(2010-2011) दिनांक रुद्रप्रयाग मार्च 21, 2012 ।
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत ।
- 1- प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग-9, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 2- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 3- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, रुद्रप्रयाग ।
- 5- जिला रजिस्ट्रार, रुद्रप्रयाग ।
- 6- उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग/ऊखीमठ/जखोली ।
- 7- तहसीलदार, रुद्रप्रयाग/ऊखीमठ/जखोली ।
- 8- सब रजिस्ट्रार, ऊखीमठ/रुद्रप्रयाग ।


जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग ।